



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक: 09.04.2021 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-

1. प्रो० राजेश सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो० नन्दिता आई०पी० सिंह	सदस्य
3. डॉ० महेन्द्र विक्रम शाही	सदस्य
4. प्रो० विनय कुमार पाण्डेय	सदस्य
5. प्रो० शोभा गौड़	सदस्य
6. प्रो० जे०ए०वी०पी० राव	सदस्य
7. प्रो० प्रदीप कुमार यादव	सदस्य
8. प्रो० चन्द्रभूषण गुप्त	सदस्य
9. डॉ० अखिलेश कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
10. डॉ० राजवीर सिंह	सदस्य
11. डॉ० प्रदीप कुमार राव	सदस्य
12. डॉ० ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
13. डॉ० शैलेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
14. श्री अनिल कुमार सिंह (ऑनलाइन उपस्थित)	सदस्य
15. श्री धर्मेन्द्र प्रकाश त्रिपाठी	वित्त अधिकारी
16. प्रो० अजय सिंह, अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
17. डॉ० अमरेन्द्र कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
18. डॉ० ओम प्रकाश, कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे मा० कुलपति जी के साथ-साथ कार्य परिषद् के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, स्व० धर्मेन्द्र नाथ वर्मा, अधिवक्ता, गोरखपुर, प्रो० अवधेश कुमार तिवारी, वाणिज्य विभाग, प्रो० विजय शंकर वर्मा, गणित एवं सांख्यिकी विभाग, प्रो० शीतला प्रसाद सिंह, प्रचीन इतिहास विभाग, डॉ० अनुराग द्विवेदी, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. रामप्यारे मिश्र, प्राचीन इतिहास विभाग, डा. जे.के. लाल, प्राचार्य, सेण्ट एण्ड्रयूज पी०जी० कालेज, गोरखपुर एवं डा. हरिराम यादव, म०मो०मा०पी०जी० कालेज, भाटपाररानी, देवरिया को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया एवं नवनामित सदस्य, प्रो० नन्दिता आई०पी० सिंह, अधिष्ठाता, कला संकाय, प्रो० प्रदीप कुमार यादव, रक्षा एवं स्नातक अध्ययन विभाग, प्रो. चन्द्रभूषण गुप्ता, इतिहास विभाग, प्रो. विनय कुमार पाण्डेय, वाणिज्य विभाग, डा. अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, रसायनशास्त्र विभाग, डा. राजवीर सिंह, शारीरिक शिक्षा विभाग, डा. प्रदीप कुमार राव, महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक: 09.04.2021 का कार्यवृत्त

धूसड़, गोरखपुर, डा. ओंकार नाथ मिश्र, श्री भगवान महावीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर एवं डा. शैलेन्द्र प्रताप सिंह, दिग्विजय नाथ पी0जी0 कालेज, गोरखपुर, का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। इसके पश्चात् कुलसचिव द्वारा मा0 कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची क्रमशः पटल पर विचारार्थ प्रस्तुत की गई।

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 27.11.2020 के कार्यवृत्त की संस्पृष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 27.11.2020 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
2	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 27.11.2020 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 27.11.2020 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।
3	कार्य परिषद ने विद्या समिति की बैठक दिनांक 08.04.2021 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विद्या परिषद की बैठक दिनांक 08.04.2021 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
4	कार्य परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.03.2021 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.03.2021 की संस्तुतियों को स्वीकार किया तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित आय-व्ययक (बजट) एवं आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित आय-व्ययक (बजट) को पारित किया।
5	कार्य परिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 24.12.2020 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 24.12.2020 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
6	कार्य परिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 25.02.2021 की संस्तुतियों पर विचार किया।



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक: 09.04.2021 का कार्यवृत्त

	<p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 25.02.2021 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
7	<p>कार्यालय आदेश संख्या 1436/सा0प्र0/2020 दिनांक 28.11.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 सुषमा पाण्डेय, आचार्य, मनोविज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 30.11.2020 को पूर्ण होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अधीन चक्रानुक्रम के अन्तर्गत प्रो0 अनुभूति दूबे, आचार्य, मनोविज्ञान विभाग को दिनांक 01.12.2020 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।</p>
8	<p>कार्यालय आदेश संख्या 1561/सा0प्र0/2020 दिनांक 31.12.2020 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो. सुग्रीव नाथ तिवारी, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय के पद दिनांक 31.12.2020 को 62 वर्ष की अधिवर्षिता पूर्ण करते हुये सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 27(4) के अन्तर्गत वर्ष 2020 में जारी अन्तिम शिक्षक वरिष्ठता सूची के अनुसार विज्ञान संकाय के वरिष्ठतम आचार्य प्रो. शान्तनु रस्तोगी, आचार्य, भौतिकी विभाग को दिनांक 01.01.2021 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रो. शान्तनु रस्तोगी को अधिष्ठाता विज्ञान संकाय के पद पर नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
9	<p>कार्यालय आदेश संख्या 28/सा0प्र0/2021 दिनांक 13.01.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.11.2020 के बिन्दु संख्या 40(4) के अनुपालन में श्री शिव कुमार त्यागी (सेवानिवृत्त) प्रधान सहायक, लेखा विभाग को सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक 07.08.2020 से एक वर्ष के लिये अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए लेखा विभाग में नियत मानदेय पर कार्य लिये जाने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।</p>
10	<p>कार्यालय आदेश संख्या- 41/सा0प्र0/2021 दिनांक 22.01.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो. अजय सिंह, प्राणि विज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 23.01.2021 को पूर्ण होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रो. वीना बत्रा कुशवाहा, प्राणि विज्ञान विभाग को दिनांक 24.01.2021 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p>



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक: 09.04.2021 का कार्यवृत्त

	<p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।</p>																		
11	<p>कार्यालय आदेश संख्या- 146/सा0प्र0/2021 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो. शिवाकान्त सिंह, भूगोल विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 20.02.2021 को पूर्ण होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत भूगोल विभाग में चक्रानुक्रम से वरिष्ठ आचार्य प्रो. नरेन्द्र कुमार राना, आचार्य, भूगोल विभाग को दिनांक 21.02.2021 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>																		
12	<p>कार्य परिषद् ने चतुर्थ संवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों का उनके मौलिक पद पर सेवाअवधि एक वर्ष से अधिक होने के फलस्वरूप इनके स्थायीकरण पर विचार किया।</p> <table border="1"><thead><tr><th>क्र.स.</th><th>नाम</th><th>पद</th><th>विभाग</th><th>नियुक्ति तिथि</th><th>वर्ग</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>श्री आनन्द किशोर श्रीवास्तव</td><td>परिचर</td><td>कुलपति कार्यालय</td><td>20.07.2018</td><td>GEN</td></tr><tr><td>2.</td><td>श्री अशोक</td><td>परिचर</td><td>सामान्य प्रशासन</td><td>01.02.2019</td><td>OBC</td></tr></tbody></table> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने चतुर्थ संवर्ग में कार्यरत उपरोक्त कर्मचारियों का उनके मौलिक पद पर सेवाअवधि एक वर्ष से अधिक होने के फलस्वरूप इनके स्थायीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।</p>	क्र.स.	नाम	पद	विभाग	नियुक्ति तिथि	वर्ग	1.	श्री आनन्द किशोर श्रीवास्तव	परिचर	कुलपति कार्यालय	20.07.2018	GEN	2.	श्री अशोक	परिचर	सामान्य प्रशासन	01.02.2019	OBC
क्र.स.	नाम	पद	विभाग	नियुक्ति तिथि	वर्ग														
1.	श्री आनन्द किशोर श्रीवास्तव	परिचर	कुलपति कार्यालय	20.07.2018	GEN														
2.	श्री अशोक	परिचर	सामान्य प्रशासन	01.02.2019	OBC														
13	<p>कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का संचालन शैक्षणिक सत्र जुलाई 2021 से किये जाने हेतु दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर परिसर में अथवा गोरखपुर शहर में न्यूनतम 499 वर्ग मीटर के अस्थायी भवन की व्यवस्था किये जाने सम्बन्ध में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, के पत्र संख्या-4435/96-आयुष-1-2020-214/2018 टी0सी दिनांक 07 दिसम्बर 2020 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का संचालन शैक्षणिक सत्र जुलाई 2021 से किये जाने हेतु दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर परिसर में अथवा गोरखपुर शहर में न्यूनतम 400 वर्ग मीटर के अस्थायी भवन की व्यवस्था किये जाने सम्बन्ध में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-4435/96-आयुष-1-2020-214/2018 टी0सी दिनांक 07 दिसम्बर 2020 पर विचार करते हुये निर्णय लिया कि जिलाधिकारी गोरखपुर के साथ समन्वय स्थापित करते हुये उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नलिखित की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया-</p> <p>1. प्रो0 अजय सिंह - संयोजक</p>																		

OK



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक: 09.04.2021 का कार्यवृत्त

	2. डॉ० प्रदीप कुमार राव - सदस्य 3. श्री अनिल कुमार सिंह - सदस्य
14	<p>कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश के कतिपय राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत (Private) शिक्षार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी के पत्र संख्या- ई-7471/12-जी०एस०/2020 (मिस-II) दिनांक 08.12.2020 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश के कतिपय राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत (Private) शिक्षार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, के पत्र संख्या- ई-7471/12-जी०एस०/2020 (मिस-II) दिनांक 08.12.2020 को स्वीकार किया।</p>
15	<p>कार्यालय आदेश संख्या- सम्बद्धता/2021/01/2542 दिनांक 22.01.2021 द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत एम०एस-सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम में सम्बद्धता के सम्बन्ध में प्रबन्धक/प्राचार्य, गुरु श्री गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग, सोनबरसा, बालापार रोड, गोरखपुर को प्रेषित पत्र के अनुमोदन पर विचार किया।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।</p>
16	<p>कार्य परिषद् ने श्री रामधनी यादव, प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय ग्रन्थालय के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिये जाने हेतु दिये गये पत्र दिनांक 08.09.2020 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने श्री रामधनी यादव, प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय ग्रन्थालय के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिये गये पत्र दिनांक 08.09.2020 को सर्वसम्मत से स्वीकार किया।</p>
17	<p>कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या- 345/सत्तर-1-2021 दिनांक 19 मार्च, 2021 एवं उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 388/79-वि-1-21-1-क-7-21 दिनांक 5 मार्च 2021 द्वारा निर्गत अधिसूचना पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या- 345/सत्तर-1-2021 दिनांक 19 मार्च, 2021 एवं उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2021 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 388/79-वि-1-21-1-क-7-21 दिनांक 5 मार्च 2021 द्वारा निर्गत अधिसूचना को सर्वसम्मत से स्वीकार किया।</p>

*Handwritten signature*



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक: 09.04.2021 का कार्यवृत्त

18	<p>कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के ग्रेड वेतन रु0 1900/- से रु0 4200/- (समूह 'ग') तक के विभिन्न संवर्ग के पदों की शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, उम्र, वेतन आदि का उत्तर प्रदेश राजकीय विभागों के उक्त संवर्गों के कर्मचारियों के सीधी भर्ती नियमावली संगत शासनादेश एवं विश्वविद्यालय में पूर्व में पदों की भर्ती विज्ञापन अभिलेखों के आधार पर उक्त पदों का निर्गत कार्यालय ज्ञाप की स्वीकृति पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के ग्रेड वेतन रु0 1900/- से रु0 4200/- (समूह 'ग') तक के विभिन्न संवर्ग के पदों की शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, उम्र, वेतन आदि का उत्तर प्रदेश राजकीय विभागों के उक्त संवर्गों के कर्मचारियों के सीधी भर्ती नियमावली संगत शासनादेश एवं विश्वविद्यालय में पूर्व में पदों की भर्ती विज्ञापन अभिलेखों के आधार पर उक्त पदों का निर्गत कार्यालय ज्ञाप को सर्वसम्मत से स्वीकार किया।</p>
19	<p>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार।</p>
1.	<p>कार्य परिषद् ने शैक्षिक सत्र 2020-21 में अस्थाई एवं स्थाई सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल की आख्या के पश्चात सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने शैक्षिक सत्र 2020-21 में अस्थाई एवं स्थाई सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल की आख्या के पश्चात सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची को सर्वसम्मत से स्वीकार किया।</p>
2.	<p>कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018 के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 1190-सत्तर-1-2019-16(114)/2010 दिनांक 15 अक्टूबर 2019 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (6) के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलीयों में शासनादेश संख्या- 600/सत्तर-1-2019-16(114)/2010 दिनांक 28 जून 2019 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018 को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 1190-सत्तर-1-2019-16(114)/2010 दिनांक 15 अक्टूबर 2019 के आदेश को स्वीकार किया।</p>
3.	<p>कार्य परिषद् ने मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 23.03.2021 के अनुपालन में प्रो0</p>



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक: 09.04.2021 का कार्यवृत्त

	<p>राजेश कुमार सिंह, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग को प्रौढ़, सतत् एवं प्रसार शिक्षा विभाग के विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु समन्वयक नामित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 03.04.2021 से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>																
4.	<p>आदेश संख्या 251/सा0प्र0/2021 दिनांक 03/04/2021 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ के वर्रों में विश्वविद्यालय का पक्ष उपस्थापित करने हेतु अधिवक्ताओं को अधिकृत किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।</p>																
5.	<p>आदेश संख्या 130/कमेटी/2021 दिनांक 01.03.2021 द्वारा मा0 कुलपति के आदेश के अनुपालन में सेल्फ फाइनेंस कोर्स (SFC Cell) के गठन हेतु समिति गठित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>																
6.	<p>कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में दो नये एडवान्स सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा पर विचार किया।</p> <p>विश्वविद्यालय में Centre for Genomics &amp; Bioinformatics तथा Institute of Physical Education and Sports Science चलाने की व्यवस्था को कार्यरूप देने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार समिति गठित की गयी। तदक्रम में समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत किया जो संलग्नक-1 के पृष्ठ संख्या-1 से 3 पर संलग्न है। अतः प्रकरण कार्य परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में Centre for Genomics &amp; Bioinformatics तथा Institute of Physical Education and Sports Science चलाने की व्यवस्था को कार्यरूप देने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार गठित समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>																
7.	<p>कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय के निम्नलिखित 11 शिक्षकों के स्थायीकरण किये जाने पर विचार किया।</p> <table border="1"><thead><tr><th>क्र.सं.</th><th>शिक्षक का नाम</th><th>पद</th><th>विभाग</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>डा. अरविन्द त्रिपाठी</td><td>आचार्य</td><td>हिन्दी विभाग</td></tr><tr><td>2.</td><td>डा. प्रत्युष दुबे</td><td>आचार्य</td><td>हिन्दी विभाग</td></tr><tr><td>3.</td><td>डा. राजेश कुमार मल्ल</td><td>आचार्य</td><td>हिन्दी विभाग</td></tr></tbody></table>	क्र.सं.	शिक्षक का नाम	पद	विभाग	1.	डा. अरविन्द त्रिपाठी	आचार्य	हिन्दी विभाग	2.	डा. प्रत्युष दुबे	आचार्य	हिन्दी विभाग	3.	डा. राजेश कुमार मल्ल	आचार्य	हिन्दी विभाग
क्र.सं.	शिक्षक का नाम	पद	विभाग														
1.	डा. अरविन्द त्रिपाठी	आचार्य	हिन्दी विभाग														
2.	डा. प्रत्युष दुबे	आचार्य	हिन्दी विभाग														
3.	डा. राजेश कुमार मल्ल	आचार्य	हिन्दी विभाग														

W



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक: 09.04.2021 का कार्यवृत्त

4.	डा. दमयन्ती तिवारी	सहयुक्त आचार्य	हिन्दी विभाग
5.	डा. अभिषेक शुक्ला	सहायक आचार्य	हिन्दी विभाग
6.	डा. नरेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य	हिन्दी विभाग
7.	डा. राम नरेश राम	सहायक आचार्य	हिन्दी विभाग
8.	डा. संदीप कुमार यादव	सहायक आचार्य	हिन्दी विभाग
9.	डा. अखिल मिश्र	सहायक आचार्य	हिन्दी विभाग
10.	डा. सुनील कुमार	सहायक आचार्य	हिन्दी विभाग
11.	डा. राजर्षि गौर	आचार्य	बायोटेक्नोलॉजी

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त उपरोक्त 11 शिक्षकों के स्थायीकरण पर विचार किया तथा स्वीकृति प्रदान की।

8. कार्य परिषद ने NAAC एवं NIRF के विभिन्न डाटा को संग्रहीत एवं विश्लेषण हेतु एक परामर्शदात्री संस्था, जो अपेक्षित तकनीकी सहायता और साफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध करा सके, की आवश्यकता पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने NAAC एवं NIRF के विभिन्न डाटा को संग्रहीत एवं विश्लेषण हेतु एक परामर्शदात्री संस्था/ कन्सल्टेन्ट को हायर करने का निर्णय लिया, जो अपेक्षित तकनीकी सहायता और साफ्टवेयर को उपलब्ध करा सके।

9. कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों पर आरक्षण रोस्टर के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-977/सत्तर-1-2019-16 (29), दिनांक 02.09.2019 की व्यवस्था की व्यवस्था को कार्यरूप देने हेतु मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 08.02.2021 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर विचार किया।

कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों पर आरक्षण रोस्टर के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-977/सत्तर-1-2019-16 (29), दिनांक 02.09.2019 की व्यवस्था को कार्यरूप देने हेतु मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 08.02.2021 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा को स्वीकार किया।

10. कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-977/सत्तर-1-2019-16 (29), दिनांक 02.09.2019 के आलोक में विश्वविद्यालय के परिनियम एवं UGC/AICTE/NCTE के मानदण्डों के अनुसार रिक्त शैक्षणिक पदों पर विज्ञापन कराये जाने पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों पर आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 977/सत्तर-1-2019-16 (29), दिनांक 02.09.2019 के





दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक: 09.04.2021 का कार्यवृत्त

	<p>आलोक में विश्वविद्यालय के परिनियम एवं UGC/AICTE/NCTE के मानदण्डों के अनुसार गठित समिति की अनुशंसा पर रिक्त शैक्षणिक पदों पर पुनः विज्ञापन कराये जाने का निर्णय लिया।</p>
11.	<p>कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय एवं चिकित्सक के रिक्त पद 02, ग्रंथालयी के रिक्त पद 01, प्रोग्रामर के रिक्त पद 01 एवं विश्वविद्यालय अभियंता के रिक्त पद 01 को भरने हेतु विज्ञापन करने पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय एवं चिकित्सक के रिक्त पद 02, ग्रंथालयी के रिक्त पद 01, प्रोग्रामर के रिक्त पद 01 एवं विश्वविद्यालय अभियंता के रिक्त पद 01 को भरने हेतु यू.जी.सी. के निर्देशानुसार स्क्रीनिंग कराकर नियमानुसार विज्ञापन कराये जाने का निर्णय लिया।</p>
12.	<p>कार्य परिषद् ने मनोविज्ञान विभाग में मनोवैज्ञानिक परामर्श सेन्टर की स्थापना हेतु दो मनोवैज्ञानिक परामर्शक (01 पुरुष एवं 01 महिला) के चयन प्रक्रिया पूर्ण कराने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, मनोविज्ञान के पत्र दिनांक 05.04.2021 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने मनोविज्ञान विभाग में मनोवैज्ञानिक परामर्श सेन्टर की स्थापना हेतु दो मनोवैज्ञानिक परामर्शक (01 पुरुष एवं 01 महिला) के चयन प्रक्रिया पूर्ण कराने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, मनोविज्ञान के पत्र दिनांक 05.04.2021 को स्वीकार किया।</p>
13.	<p>कार्य परिषद् ने u/s 8 of Companies Act, 2013 अन्तर्गत विश्वविद्यालय में इन्क्यूबेशन सेंटर (Incubation Centre) एवं ग्रीन इनिशिएटिव कम्पनी (Green Initiative Company) स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने u/s 8 of Companies Act, 2013 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में इन्क्यूबेशन सेंटर (Incubation Centre)/जीरो वेस्ट कैम्पस (Zero Waste Campus) के लिए एक परामर्शदात्री कन्सल्टेन्ट हायर करने के लिए सर्वसम्मत से स्वीकार करते हुए कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।</p>
14.	<p>कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता सूची को गठित समिति से एक माह के अन्दर परीक्षण कराके मा० कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।</p>
15.	<p>कुलसचिव को कारण बताओ नोटिस (Show Cause) एवं आवश्यक कार्यवाही पर विचार।</p> <p>अध्यक्ष की अनुमति से रखे गये अन्य 14 बिन्दुओं पर विचार विमर्श के उपरान्त अन्तिम 15 वें बिन्दु के अन्तर्गत इसे प्रस्तुत किया गया। चूँकि यह प्रकरण कुलसचिव से</p>

01



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक: 09.04.2021 का कार्यवृत्त

<p>सम्बन्धित था इसलिए इस बिन्दु पर विचार-विमर्श के <sup>समय</sup> कुलसचिव उपस्थित नहीं थे। कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय कार्यों में रुचि न लेने, कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने तथा कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर दिये गये अनेक कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक उत्तर न देने तथा उनकी कार्य प्रवृत्ति में सुधार न होने, उनके विरुद्ध जाँच गठित करने तथा विश्वविद्यालय हित में कार्य बाधित न हो उन्हें कार्य विहीन करते हुए प्रोफेसर अजय सिंह को कुलसचिव के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत करने का प्रस्ताव/आलेख को कुलपति जी द्वारा वित्त अधिकारी को पढ़कर सुनाने हेतु अधिकृत किया गया। वित्त अधिकारी द्वारा कुलसचिव के विरुद्ध कुलपति जी द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के आलेख को पढ़कर सदन को सुनाया गया। कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया- "कुलसचिव के विरुद्ध कुलपति द्वारा जो निर्णय लिया गया वह कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत हुआ। कार्य परिषद् ने इसे अवलोकित कर उचित मानते हुए आलेख की पुष्टि की"।</p>
---

*Abhi*  
(Registrar)

*Vijay*  
(Vice Chancellor)



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 27.09.2021 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० राजेश सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० नन्दिता आई०पी० सिंह	सदस्य
3.	प्रो० अवधेश कुमार तिवारी	सदस्य
4.	प्रो० विनय कुमार पाण्डेय	सदस्य
5.	प्रो० शोभा गौड़	सदस्य
6.	प्रो० प्रदीप कुमार यादव	सदस्य
7.	प्रो० चन्द्रभूषण गुप्त	सदस्य
8.	डॉ० अखिलेश कुमार श्रीवास्वत	सदस्य
9.	डॉ० राजवीर सिंह	सदस्य
10.	डॉ० प्रदीप कुमार राव	सदस्य
11.	डॉ० विजय प्रताप उपाध्याय	सदस्य
12.	डॉ० अरुण कुमार त्रिपाठी	सदस्य
13.	प्रो० रामअचल सिंह	सदस्य
14.	प्रो० वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी (आनलाइन उपस्थित)	सदस्य
15.	श्री अनिल कुमार सिंह	सदस्य
16.	प्रो० अजय सिंह,	वित्त अधिकारी
17.	श्री विशेष्वर प्रसाद, कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे मा० कुलपति जी के साथ-साथ कार्य परिषद् के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य डॉ० महेन्द्र विक्रम शाही, अधिष्ठाता, कृषि संकाय, डॉ० ओंकार नाथ मिश्र, प्राचार्य, श्री भगवान महावीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पावानगर (फाजिलनगर) कुशीनगर, डॉ० शैलेन्द्र प्रताप सिंह, दिग्विजय नाथ पी०जी० कालेज, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया एवं नवनामित सदस्य, प्रो० अवधेश कुमार तिवारी, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय, डॉ० विजय प्रताप उपाध्याय, वाणिज्य विभाग, बी०आर०डी०बी०डी० पी०जी० कालेज आश्रम बरहज, देवरिया, प्रो० रामअचल सिंह, प्रो० वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी, से०नि० आचार्य (हिन्दी), प्रो० कल्पलता पाण्डेय, कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, मा० न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। इसके पश्चात् कुलसचिव द्वारा मा० कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची क्रमशः पटल पर विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 09.04.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 09.04.2021 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
2	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 09.04.2021 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 09.04.2021 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।

3	कार्य परिषद ने विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25.09.2021 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25.09.2021 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
4	कार्य परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.05.2021 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.05.2021 की संस्तुतियों को पुनः समीक्षा किये जाने एवं प्रवेश परीक्षा 2021-22 के समन्वयकों एवं सह-समन्वयकों को दिये जाने वाले मानदेय पर पुनः विचार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।
5	कार्य परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.09.2021 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.09.2021 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
6	कार्य परिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 21.06.2021 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 21.06.2021 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
7	कार्य परिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 09.08.2021 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 09.08.2021 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
8	कार्य परिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 18.09.2021 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 18.09.2021 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
9	कार्यालय आदेश संख्या 101/सा0प्र0/2021 दिनांक 06.02.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 16.12.2020 के अनुपालन में आवास आवंटन समिति में निम्नलिखित अधिष्ठाताओं को नामित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। 1. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय - अध्यक्ष 2. अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय - सदस्य कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
10	कार्य परिषद ने जंगल कौड़िया से मोहददीपुर चौक तक सड़क कार्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय कैम्पस के बाउण्ड्री के निकट देवरिया रोड साईड गेट के सामने 33 के0वी0 फीडर बॉक्स स्थापित करने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने जंगल कौड़िया से मोहददीपुर चौक तक सड़क कार्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय कैम्पस के बाउण्ड्री के निकट देवरिया रोड साईड गेट के सामने 33 के0वी0 फीडर बॉक्स स्थापित करने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
11	कार्यालय आदेश संख्या 299/सा0प्र0/2021 दिनांक 22.04.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 नरेन्द्र कुमार राना, अध्यक्ष, भूगोल विभाग की नियुक्ति बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, भूगोल विभाग में आचार्य पद पर हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अधीन चक्रानुक्रम के अन्तर्गत प्रो0 शिवाकान्त सिंह, आचार्य, भूगोल विभाग को दिनांक 23.04.2021 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
12.	कार्यालय आदेश संख्या 300/सा0प्र0/2021 दिनांक 22.04.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 नरेन्द्र कुमार राना, अध्यक्ष, भूगोल विभाग की नियुक्ति बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, भूगोल विभाग में आचार्य पद पर हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.19 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों के अधीन कार्यपरिषद की स्वीकृति के प्रत्याशा में दिनांक 23.04.2021 के पूर्वाह्न से दिनांक 22.04.2022 तक एक वर्ष के लिए धारणाधिकार सहित असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 22.04.2021 के अपराह्न से कार्यमुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।

13 कार्यालय आदेश संख्या- 323/सा0प्र0/2021 दिनांक 21.05.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 गोपाल प्रसाद, राजनीतिशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 22.05.2021 को पूर्ण होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनिधमावली (यथा संशोधित) के परिनिधम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र विभाग में चक्रानुक्रम से वरिष्ठ आचार्य प्रो0 रुसीराम महानन्दा, आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग को दिनांक 23.05.2021 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हां तक के लिये विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।  
कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।

14 कार्यालय आदेश संख्या-सम्बद्धता/2021/05-1764 दिनांक 22.05.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में गुरु गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग, गोरखनाथ, गोरखपुर की सम्बद्धता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से समाप्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।  
कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।

15 कार्यालय आदेश संख्या- 339/सा0प्र0/2021 दिनांक 05.06.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में छात्रावास नियमावली के नियम क्रमशः 3.01 एवं 3.03 के अन्तर्गत कार्यपरिषद् से स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न छात्रावासों के अभिरक्षकों को एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो तक के लिये नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।

क्र.स	अभिरक्षकों का नाम, पद एवं विभाग	छात्रावास
1.	प्रो0 शिवाकांत सिंह, आचार्य, भूगोल विभाग	नाथ चन्द्रावत
2.	प्रो0 अनिल कुमार यादव, आचार्य, वाणिज्य विभाग	स्वामी विवेकानन्द
3.	प्रो0 उमेश यादव, आचार्य, भौतिकी विभाग	सन्त कबीर
4.	प्रो0 राकेश कुमार तिवारी, आचार्य, भौतिकी विभाग	गौतम बुद्ध

कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।

16 प्रो0 शफीक अहमद, आचार्य (अवकाश पर), समाजशास्त्र विभाग के संलग्न पत्र दिनांक 20.12.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जामिया मीलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 17.10.2020 को आचार्य पद पर स्थायीकरण हो जाने के फलस्वरूप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, आचार्य, समाजशास्त्र विभाग के पद से दिनांक 16.10.2021 अपराह्न से तकनीकी त्यागपत्र (Technical Resignation) के सम्बन्ध में है।

अवगत कराना है कि प्रो0 शफीक अहमद, समाजशास्त्र विभाग में आचार्य पद पर कार्यरत है इनका चयन जामिया मीलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में आचार्य पद पर हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश पत्रांक 113/सा0प्र0/2019 दिनांक 12.10.2019 के द्वारा दिनांक 17.10.2019 से एक वर्ष के लिये असाधारण अवैतनिक अवकाश पर थे।

अतः उपरोक्त से अवगत होते हुए प्रो0 शफीक अहमद का तकनीकी त्यागपत्र (Technical Resignation) स्वीकृति किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।

कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।

17 कार्यालय आदेश संख्या- 379/सा0प्र0/2021 दिनांक 22.06.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 नरेश प्रसाद भोक्ता, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय का संकायाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 30.06.2021 को पूर्ण होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27 (4) के अन्तर्गत एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 18.06.2021 के अनुपालन में शिक्षा संकाय में चक्रानुक्रम में वरिष्ठ आचार्य प्रो0 शोभा गौड़ को दिनांक 01.07.2021 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिये अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय नियुक्त किया जाता है। अधिष्ठाता के रूप में प्रो0 शोभा गौड़, प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग के अध्यक्ष के कार्यों का भी सम्पादन करेंगी सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।

कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।

18	कार्यालय आदेश संख्या-377/सा0प्र0/2021 दिनांक 22.06.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 19.06.2021 के अनुपालन में अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, नियुक्त करने सम्बन्धी प्रकरण पर निम्नलिखित की गठित समिति के आदेश एवं दर्शनशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन अधिष्ठाता, कला संकाय द्वारा किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। 1. अधिष्ठाता-छात्र कल्याण 2. अधिष्ठाता- विज्ञान संकाय 3. अधिष्ठाता- शिक्षा संकाय कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।												
19	कार्यालय आदेश संख्या- 378/सा0प्र0/2021 दिनांक 22.06.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 नरेश प्रसाद भोक्ता, शिक्षाशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 30.06.2021 को पूर्ण होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र विभाग में चक्रानुक्रम से वरिष्ठ आचार्य प्रो0 शोभा गौड़, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग को दिनांक 01.07.2021 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिये विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।												
20.	कार्यालय आदेश संख्या- 396/सा0प्र0/2021 दिनांक 29.06.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में अभिरक्षक विवेकानन्द छात्रावास की संस्तुति पर छात्रावास नियमावली के नियम क्रमशः 3.01 एवं 3.03 के अन्तर्गत कार्यपरिषद् से स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न छात्रावासों के अधीक्षकों को एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो तक के लिये नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स</th> <th>अधीक्षकों का नाम, पद एवं विभाग</th> <th>छात्रावास</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>डॉ0 मनीष कुमार राय, सहायक आचार्य, विधि विभाग</td> <td>विवेकानन्द</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>डॉ0 शिव पूजन, सहायक आचार्य, विधि विभाग</td> <td>विवेकानन्द</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>डॉ0 बृजेश कुमार रावत, सहायक आचार्य, अंग्रेजी विभाग</td> <td>विवेकानन्द</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स	अधीक्षकों का नाम, पद एवं विभाग	छात्रावास	1.	डॉ0 मनीष कुमार राय, सहायक आचार्य, विधि विभाग	विवेकानन्द	2.	डॉ0 शिव पूजन, सहायक आचार्य, विधि विभाग	विवेकानन्द	3.	डॉ0 बृजेश कुमार रावत, सहायक आचार्य, अंग्रेजी विभाग	विवेकानन्द
क्र.स	अधीक्षकों का नाम, पद एवं विभाग	छात्रावास											
1.	डॉ0 मनीष कुमार राय, सहायक आचार्य, विधि विभाग	विवेकानन्द											
2.	डॉ0 शिव पूजन, सहायक आचार्य, विधि विभाग	विवेकानन्द											
3.	डॉ0 बृजेश कुमार रावत, सहायक आचार्य, अंग्रेजी विभाग	विवेकानन्द											
	कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।												
21.	कार्यालय आदेश संख्या- 397/सा0प्र0/2021 दिनांक 29.06.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में अभिरक्षक नाथ चन्द्रावत छात्रावास की संस्तुति पर छात्रावास नियमावली के नियम क्रमशः 3.01 एवं 3.03 के अन्तर्गत कार्यपरिषद् से स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न छात्रावासों के अधीक्षकों को एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो तक के लिये नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स</th> <th>अधीक्षकों का नाम, पद एवं विभाग</th> <th>छात्रावास</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>डॉ0 देवेन्द्र पाल, सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग</td> <td>नाथ चन्द्रावत</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>डॉ0 अमित कुमार उपाध्याय, सहायक आचार्य, राजनीति विभाग</td> <td>नाथ चन्द्रावत</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>डॉ0 संजय कुमार राम, सहायक आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग</td> <td>नाथ चन्द्रावत</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स	अधीक्षकों का नाम, पद एवं विभाग	छात्रावास	1.	डॉ0 देवेन्द्र पाल, सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग	नाथ चन्द्रावत	2.	डॉ0 अमित कुमार उपाध्याय, सहायक आचार्य, राजनीति विभाग	नाथ चन्द्रावत	3.	डॉ0 संजय कुमार राम, सहायक आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	नाथ चन्द्रावत
क्र.स	अधीक्षकों का नाम, पद एवं विभाग	छात्रावास											
1.	डॉ0 देवेन्द्र पाल, सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग	नाथ चन्द्रावत											
2.	डॉ0 अमित कुमार उपाध्याय, सहायक आचार्य, राजनीति विभाग	नाथ चन्द्रावत											
3.	डॉ0 संजय कुमार राम, सहायक आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	नाथ चन्द्रावत											
	कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।												
22.	कार्यालय आदेश संख्या- 399/सा0प्र0/2021 दिनांक 29.06.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में छात्रावास नियमावली के नियम क्रमशः 3.01 एवं 3.03 के अन्तर्गत कार्यपरिषद् से स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न छात्रावासों के अभिरक्षकों को एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो तक के लिये नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स</th> <th>अभिरक्षकों का नाम, पद एवं विभाग</th> <th>छात्रावास</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>प्रो0 वीना बत्रा कुशवाहा, आचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग</td> <td>महारानी लक्ष्मीबाई</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>प्रो0 उषा सिंह, आचार्य, ललित कला एवं संगीत विभाग</td> <td>अलकनन्दा महिला</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स	अभिरक्षकों का नाम, पद एवं विभाग	छात्रावास	1.	प्रो0 वीना बत्रा कुशवाहा, आचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग	महारानी लक्ष्मीबाई	2.	प्रो0 उषा सिंह, आचार्य, ललित कला एवं संगीत विभाग	अलकनन्दा महिला			
क्र.स	अभिरक्षकों का नाम, पद एवं विभाग	छात्रावास											
1.	प्रो0 वीना बत्रा कुशवाहा, आचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग	महारानी लक्ष्मीबाई											
2.	प्रो0 उषा सिंह, आचार्य, ललित कला एवं संगीत विभाग	अलकनन्दा महिला											

23. कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।  
कार्यालय आदेश संख्या- 553/सा0प्र0/2021 दिनांक 16.08.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में छात्रावास नियमावली के नियम क्रमशः 3.01 एवं 3.03 के अन्तर्गत कार्यपरिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न छात्रावासों के अभिरक्षकों को एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो तक के लिये नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना ।

क्र.स	अभिरक्षकों का नाम, पद एवं विभाग	छात्रावास
1.	प्रो0 सुनीता मूर्म, आचार्य, अंग्रेजी विभाग	महारानी लक्ष्मीबाई
2.	प्रो0 शोभा गौड, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग	अलकनन्दा महिला दिनांक 24.08.2022 तक अथवा अगले आदेश तक कार्यकाल विस्तरण

कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

24. कार्यालय आदेश संख्या- 554/सा0प्र0/2021 दिनांक 16.08.2021 के द्वारा मुख्य अभिरक्षक प्रो0 शिवाकान्त सिंह की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में छात्रावास नियमावली के नियम 3.03 के अन्तर्गत कार्यपरिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न छात्रावासों के अधीक्षकों को एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो तक के लिये नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना ।

क्र.स	अधीक्षकों का नाम, पद एवं विभाग	छात्रावास
1.	डॉ0 तूलिका मिश्रा, सहायक आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग	महारानी लक्ष्मीबाई
2.	डॉ0 रंजनलता, सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग	महारानी लक्ष्मीबाई
3.	डॉ0 आरती यादव, सहायक आचार्य, रक्षा एवं रत्रातजिक अध्ययन विभाग	महारानी लक्ष्मीबाई
4.	डॉ0 मीतू सिंह, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग	अलकनन्दा महिला
5.	डॉ0 प्रीती गुप्ता, सहायक आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग	अलकनन्दा महिला
6.	डॉ0 दीपा श्रीवास्तव, सहायक आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग	अलकनन्दा महिला

कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

25. कार्यालय आदेश संख्या- 470/सा0प्र0/2021 दिनांक 23.07.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में छात्रावास नियमावली के नियम 3.03 के अन्तर्गत कार्यपरिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में अधोलिखित को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो तक के लिये संतकबीर छात्रावास का अधीक्षक नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना ।

क्र.स	अधीक्षकों का नाम, पद एवं विभाग	छात्रावास
1.	डॉ0 कृपा मणि मिश्रा, सहायक आचार्य, भौतिकी विभाग	संतकबीर
2.	डॉ0 ओमप्रकाश सिंह, सहायक आचार्य, विधि विभाग	संतकबीर
3.	डॉ0 विरेन्द्र कुमार मधुकर, सहायक आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग	संतकबीर

कार्य परिषद ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

26.	पत्रांक संख्या-404/सा0प्र0/2021 दिनांक 01.07.2021 के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-848/सत्तर-1-2021-16 (57)/2018 दिनांक 27 जून, 2021 एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 01.07.2021 के अनुपालन में श्री विशेश्वर प्रसाद दिनांक 01.07.2021 को पूर्वाहन में कुलसचिव, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
27.	कार्यालय आदेश संख्या-405/सा0प्र0/2021 दिनांक 01.07.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 01.07.2021 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 9 (e) एवं परिनियम की धारा 2.03 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रो0 नरेश प्रसाद भोक्ता, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग के दिनांक 01.07.2021 (अपराहन) को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप वित्त अधिकारी के रिक्त पद पर प्रो0 अजय सिंह, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को अग्रिम आदेश तक वित्त अधिकारी नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
28.	कार्यालय आदेश संख्या-421/सा0प्र0/2021 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथा संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 07.07.2021 के अनुपालन में श्रीमती अल्का श्रीवास्तव पत्नी स्व0 डॉ0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, हीरापुरी कालोनी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को कार्य परिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान 5200-20,200 (ग्रेड पे 2000/-) 7वें वेतनमान के अनुसार मूल वेतन-रु0 21,700/- (पुनरीक्षित लेवल-3) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्राविधानों के अधीन मृतक आश्रित के रूप में किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
29.	कार्यालय आदेश संख्या-422/सा0प्र0/2021 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथा संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 07.07.2021 के अनुपालन में श्री बलिनन्दर पुत्र स्व0 झीनकान निवासी ग्राम-मिठना सिठना, पो0-कटार सोयम, थाना-धनघटा, जिला-संतकबीर नगर को कार्य परिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान 5200-20,200 (ग्रेड पे 2000/-) 7वें वेतनमान के अनुसार मूल वेतन-रु0 21,700/- (पुनरीक्षित लेवल-3) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्राविधानों के अधीन मृतक आश्रित के रूप में किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
30.	कार्यालय आदेश संख्या-423/सा0प्र0/2021 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथा संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 07.07.2021 के अनुपालन में श्री मनोज कुमार पुत्र स्व0 राम भवन मौर्य, हीरापुरी कैम्पस, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को कार्य परिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में परिचर के पद पर वेतनमान 5200-20,200 (ग्रेड पे 1800/-) 7वें वेतनमान के अनुसार मूल वेतन-रु0 18,000/- (पुनरीक्षित लेवल-1) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्राविधानों के अधीन मृतक आश्रित के रूप में किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
31.	कार्यालय आदेश संख्या-424/सा0प्र0/2021 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथा संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 07.07.2021 के अनुपालन में श्री इरफान पुत्र स्व0 इस्फाक, मुहल्ला- अहमदनगर चकसा हुसैन, पो0- गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर को कार्य परिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में परिचर के पद पर वेतनमान 5200-20,200 (ग्रेड पे 1800/-) 7वें वेतनमान के अनुसार मूल वेतन-रु0 18,000/- (पुनरीक्षित लेवल-1) में

*Handwritten signature*



	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्राविधानों के अधीन मृतक आश्रित के रूप में किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
32.	कार्यालय आदेश संख्या-425/सा0प्र0/2021 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथा संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 07.07.2021 के अनुपालन में श्री अमन चौधरी पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र, ग्राम- हरसेवकपुर नं0 1 पो0-आरोग्य मंदिर जिला- गोरखपुर को कार्य परिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान 5200-20,200 (ग्रेड पे 2000/-) 7वें वेतनमान के अनुसार मूल वेतन-रु0 21,700/- (पुनरीक्षित लेवल-3) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्राविधानों के अधीन मृतक आश्रित के रूप में किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
33.	कार्यालय आदेश संख्या-551/सा0प्र0/2021 दिनांक 14.08.2021 के द्वारा उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथा संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 14.08.2021 के अनुपालन में श्री अरूण मणि त्रिपाठी पुत्र स्व0 जयप्रकाश मणि त्रिपाठी, ग्राम-बढ़या, पो0-बैतालपुर,थाना-गौरी बाजार, जिला- देवरिया को कार्य परिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान 5200-20,200 (ग्रेड पे 2000/-) 7वें वेतनमान के अनुसार मूल वेतन-रु0 21,700/- (पुनरीक्षित लेवल-3) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्राविधानों के अधीन मृतक आश्रित के रूप में किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
34.	कार्यालय आदेश संख्या-550/सा0प्र0/2021 दिनांक 14.08.2021 के द्वारा उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथा संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 14.08.2021 के अनुपालन में श्री चन्द्रशेखर मिश्र पुत्र स्व0 गंगोत्री प्रसाद, (स्व0 श्रीमती इन्द्रावती देवी, मृतक कर्मचारी), म0न0-18/36 याक्की कम्पाउण्ड, बस स्टैण्ड सिविल लाइन, जिला-गोरखपुर को कार्य परिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान 5200-20,200 (ग्रेड पे 2000/-) 7वें वेतनमान के अनुसार मूल वेतन-रु0 21,700/- (पुनरीक्षित लेवल-3) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्राविधानों के अधीन मृतक आश्रित के रूप में किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
35.	कार्यालय आदेश संख्या- 428/सा0प्र0/2021 दिनांक 09.07.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 शीतला प्रसाद सिंह, प्राचीन इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 09.07.2021 को पूर्ण होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास विभाग में चक्रानुक्रम से वरिष्ठ आचार्य प्रो0 दिग्विजय नाथ, आचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग को दिनांक 10.07.2021 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।
36.	कार्यालय ज्ञाप संख्या-438/सा0प्र0/2021 दिनांक 10.07.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में डॉ0 शुभंकर डे, सहायक आचार्य, ललित कला एवं संगीत विभाग को वाद्य विभाग, संगीत एवं मंच कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में Pre-submission and submit of Final Thesis जमा करने हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 16.19 बिन्दु (i) (d) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कुल 55 दिन का (Without pay Leave) असाधारण (अवैतनिक) अवकाश (Extraordinary Leave) स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।



37. कार्यालय आदेश संख्या-530/सा0प्र0/2021 दिनांक 9.08.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 08.08.2021 के अनुपालन में आवास आंवटन समिति का गठन निम्नवत रूप से किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना ।

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	सदस्य
3.	अधिष्ठाता कला संकाय	सदस्य
4.	अधिष्ठाता शिक्षा संकाय	सदस्य
5.	कुलसचिव	सचिव

कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

38. अधिसूचना पत्रांक संख्या- 1392/कुसका0/2021 दिनांक 18.08.2021 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बन्धित रिट याचिकाओं में माननीय कुलाधिपति महोदय का पक्ष रखने के लिये निम्नवत अधिवक्ताओं को नामित किये जाने सम्बन्धित आदेश से अवगत होना ।

क्र. सं.	नामित अधिवक्ता का नाम	नामित अधिवक्ता का पता	नामित अधिवक्ता का मो0न0	नामित अधिवक्ता का ई-मेल आई0डी0	
1.	श्री अजीत कुमार सिंह (वरिष्ठ अधिवक्ता)	ए-14/18, पत्रिका मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001	9415214364	aji_19@gmail.com	माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
2.	श्री शशि प्रकाश राय (पैनल अधिवक्ता)	1441, केवदई नगर, अल्लापुर, प्रयागराज	9721142418	shashipra kashrai171@gmail.com	
3.	श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव (अधिवक्ता)	624 सी0एच0/6, चिनहट सरकारी अस्पताल के पीछे, शक्ति अपार्टमेंट के पास (मल्हौरी रेलवे स्टेशन रोड), चक मल्हौरी, लखनऊ-226028	9415027354, 6394031608	advakhile sh1977@gmail.com	माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ
4.	श्री शान्तनु सिंह, पैनल अधिवक्ता)	टी-7, 1701 सुप्रीम टावर्स, सेक्टर 99, नोएडा-201304	9582164171	shantanu.sing.288@gmail.com	

कार्य परिषद् ने उक्त आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

39. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा अनुभाग 4 सं0-1372/सत्तर-4-2021 दिनांक 20 जुलाई 2021, संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन का पत्रांक-13सी0आई0डी0(आ0)/6-पु-11-2021-5 लखनऊ दिनांक 21 जून, 2021 एवं मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 सी0बी0-161/2017 (जीकेआर), लखनऊ के द्वारा श्री रामसजन तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक (सेवानिवृत्त-31.12.

	<p>2008) के विरुद्ध धारा-420/467/468/471 भादवि में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति की नियमानुसार कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से अपराध शाखा, अनुसंधान विभाग को अवगत कराने हेतु निर्णय लेने पर विचार।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा अनुभाग 4 सं०-1372/सत्तर-4-2021 दिनांक 20 जुलाई 2021, संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-11, उ०प्र० शासन का पत्रांक-13सी०आई०डी०(आ०)/6-पु-11-2021-5 लखनऊ दिनांक 21 जून, 2021 एवं मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० सी०बी०-161/2017 (जीकेआर), लखनऊ के द्वारा श्री रामसजन तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक (सेवानिवृत्त-31.12.2008) के विरुद्ध धारा-420/467/468/471 भादवि में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अभियोजन एवं कृत कार्यवाही से शासन को कार्यवाही करने हेतु अनुमति देने का निर्णय लिया।</p>
40.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार।
40 (1)	<p>डॉ० ओमप्रकाश तत्कालीन कुलसचिव, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने डॉ० ओमप्रकाश तत्कालीन कुलसचिव, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही सम्बन्धी सूचना से अवगत हुई।</p>
40(2)	<p>Disciplinary Committee under section 49 constituted under sub section of statutes 8.10. As per statute the committee consist of Vice-Chancellor and two other members to hear the case सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने Disciplinary Committee under section 49 constituted under sub section of statutes 8.10. As per statute the committee consist of Vice-Chancellor and two other members to hear the case सम्बन्धी सूचना से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।</p>
40(3)	<p>Engagement of Consultants- Mr. A.P. Singh Retd. Chief Engineer for Faculty of Engineering, Dr. R.N. Singh for Institute of Physical Education &amp; Sport Science and Dr. Naresh Trikha-10 days for IQAC and 10 days for Incubation Centre as per provision of Finance Committee Meeting dated 28-05-2021, Agenda No. 02. सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने Engagement of Consultants- Mr. A.P. Singh Retd. Chief Engineer for Faculty of Engineering, Dr. R.N. Singh for Institute of Physical Education &amp; Sport Science and Dr. Naresh Trikha-10 days for IQAC and 10 days for Incubation Centre as per provision of Finance Committee Meeting dated 28-05-2021, Agenda No. 02. सम्बन्धी सूचना से अवगत हुए स्वीकृति प्रदान की।</p>
40(4)	<p>Legal Cell is reconstituted involving Prof. Ahmed Naseem, Dr. Shiv Pujan Singh and Dr. Shailesh Kumar Singh of Department of Law. सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने Legal Cell is reconstituted involving Prof. Ahmed Naseem, Dr. Shiv Pujan Singh and Dr. Shailesh Kumar Singh of Department of Law. सम्बन्धी सूचना से अवगत होते स्वीकृति प्रदान की।</p>
40(5)	<p>Information Centre will be merged with PRO Office with overall incharge ship of the PRO (Public Relations Officer) established in the Proctor Office building. सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने Information Centre will be merged with PRO Office with overall incharge ship of the PRO (Public Relations Officer) established in the Proctor Office building. सम्बन्धी सूचना से अवगत हुए स्वीकृति प्रदान की।</p>
40(6)	<p>Last working day of the month will be non-motoable day. The University encourages the use of Rickshaw and bicycle सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने Last working day of the month will be non-motoable day. The University encourages the use of Rickshaw and bicycle सम्बन्धी सूचना से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।</p>
40(7)	<p>The University will discourage the use of plastic and ban of plastic, use of Tobacco, Alcohol, Gutakha in the campus. The plastic remains found in the premises of any</p>




	<p>department, section, office, head of the department, the concerned incharge will be fined Rs. 500. सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने The University will discourage the use of plastic and ban of plastic, use of Tobacco, Alcohol, Gutakha in the campus. The plastic remains found in the premises of any department, section, office, head of the department, the concerned incharge will be fined Rs. 500. सम्बन्धी सूचना से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।</p>
40 (8)	<p>दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं श्रीमती गिरजा शास्त्री मेमोरियल ट्रस्ट (अदम्य चेतना) के मध्य मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टैण्डिंग (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर को ग्रीन कैम्पस के रूप में विकसित किया जाना, इसके अतिरिक्त जल संरक्षण, जीरो गार्बेज कम्युनिटी किचेन की व्यवस्था है जिससे दूसरे संस्थान, संगठन और जनता प्रेरित हो। इस एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत छात्रों तथा जन समुदाय को रियायती दर पर रू0 5/- में नाश्ता तथा रू0 10 /- में भोजन की व्यवस्था किये जाने से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं श्रीमती गिरजा शास्त्री मेमोरियल ट्रस्ट (अदम्य चेतना) के मध्य मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टैण्डिंग (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर को ग्रीन कैम्पस के रूप में विकसित किया जाना, इसके अतिरिक्त जल संरक्षण, जीरो गार्बेज कम्युनिटी किचेन की व्यवस्था है जिससे दूसरे संस्थान, संगठन और जनता प्रेरित हो। इस एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत छात्रों तथा जन समुदाय को रियायती दर पर रू0 5/- में नाश्ता तथा रू0 10 /- में भोजन की व्यवस्था किये जाने से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
40(8A)	<p>यदि कोई भी शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई तथ्य मीडिया या सोशल मीडिया में देना चाहते हैं और वह विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है तो ऐसे तथ्यों/समाचारों को मीडिया प्रकोष्ठ के माध्यम से भेजे जाने सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने यदि कोई भी शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई तथ्य मीडिया या सोशल मीडिया में देना चाहते हैं और वह विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है तो ऐसे तथ्यों/समाचारों को मीडिया प्रकोष्ठ के माध्यम से भेजे जाने सम्बन्धी सूचना से अवगत हुई।</p>
40(9)	<p>कार्य परिषद ने इन्स्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग की कक्षाएँ दीक्षा भवन में संचालित होंगी तथा इसका प्रयोगात्मक कार्य विश्वविद्यालय के कैन्टीन में संचालित किये जाने सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने इन्स्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग की कक्षाएँ दीक्षा भवन में संचालित होंगी तथा इसका प्रयोगात्मक कार्य विश्वविद्यालय के कैन्टीन में संचालित किये जाने सम्बन्धी सूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
40(10)	<p>कृषि संकाय की सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक कक्षाएँ दीक्षा भवन में संचालित होगी। जिसके लिए आठ (8) अस्थायी/संविदा शिक्षकों के पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जिसे कार्य परिषद तथा विद्या परिषद से पास कराकर शासन की अवगत कराने सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने कृषि संकाय की सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक कक्षाएँ दीक्षा भवन में संचालित होगी। जिसके लिए आठ (8) अस्थायी/संविदा शिक्षकों के पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जिसे कार्य परिषद तथा विद्या परिषद से पास कराकर शासन की अवगत कराने सम्बन्धी सूचना से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।</p>
40(11)	<p>इंजीनियरिंग संकाय की कक्षाएँ मूल्यांकन भवन में संचालित होंगी। जिसके लिए बारह (12) अस्थायी/संविदा शिक्षकों के पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जिसे कार्य परिषद तथा विद्या परिषद से पास कराकर शासन को अवगत कराने सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने इंजीनियरिंग संकाय की कक्षाएँ मूल्यांकन भवन में संचालित होंगी। जिसके लिए बारह (12) अस्थायी/संविदा शिक्षकों के पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जिसे कार्य परिषद तथा विद्या परिषद से पास कराकर शासन को अवगत कराने सम्बन्धी सूचना से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।</p>

40(12)	<p>विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को मेडिकलेम की सुविधा पाँच (05) लाख रुपये तक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिसके प्रीमियम का 50 प्रतिशत का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा 50 प्रतिशत का भुगतान शिक्षक द्वारा उनके वेतन से प्रतिमाह किश्तो में किया जायेगा। इसके लिये शिक्षक की सहमति प्राप्त किये जाने सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की मेडिकलेम की सुविधा पाँच (05) लाख रुपये तक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिसके प्रीमियम का 50 प्रतिशत का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा 50 प्रतिशत का भुगतान शिक्षक द्वारा उनके वेतन से प्रतिमाह किश्तो में किया जायेगा। इसके लिये शिक्षक की सहमति प्राप्त किये जाने सम्बन्धी सूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
40(13)	<p>विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को मेडिकलेम की सुविधा दो (02) लाख रुपये तक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिसके प्रीमियम का 70 प्रतिशत का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा 30 प्रतिशत का भुगतान कर्मचारी द्वारा उनके वेतन से प्रतिमाह किश्तो में किया जायेगा। इसके लिये शिक्षक की सहमति प्राप्त किये जाने सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को मेडिकलेम की सुविधा दो (02) लाख रुपये तक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिसके प्रीमियम का 70 प्रतिशत का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा 30 प्रतिशत का भुगतान कर्मचारी द्वारा उनके वेतन से प्रतिमाह किश्तो में किया जायेगा। इसके लिये शिक्षणोत्तर कर्मचारी की सहमति प्राप्त किये जाने सम्बन्धी सूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
40(14)	<p>विश्वविद्यालय में इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड कम्युनिकेशन प्रकोष्ठ (आई0टी0सी0 सेल) द्वारा कैम्पस के अन्दर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, बॉयोमेट्रिक्स तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी पर कार्यदायी संस्था के माध्यम से कार्य कराये जाने की कार्यवाही चलने सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय में इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड कम्युनिकेशन प्रकोष्ठ (आई0टी0सी0 सेल) द्वारा कैम्पस के अन्दर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, बॉयोमेट्रिक्स तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी पर कार्यदायी संस्था के माध्यम से कार्य कराये जाने की कार्यवाही चलने सम्बन्धी सूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
40(15)	<p>महायोगी श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के फर्नीचर के लिए शासन को पत्र लिखा जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन नवम्बर माह तक शोधपीठ का उद्घाटन कराने सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने महायोगी श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के फर्नीचर के लिए शासन को पत्र लिखे जाने एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नवम्बर माह तक शोधपीठ का उद्घाटन कराने सम्बन्धी सूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
40(16)	<p>सम्पन्न हो चुके नाथ पंथ, दीनदयाल उपाध्याय एवं पूर्वांचल वेबिनार में प्राप्त पेपर के पब्लिकेशन को सेमिनार में बचे हुए बजट से कराया जा रहा है सम्बन्धी सूचना से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद ने सम्पन्न हो चुके नाथ पंथ, दीनदयाल उपाध्याय एवं पूर्वांचल वेबिनार में प्राप्त पेपर के पब्लिकेशन को सेमिनार में बचे हुए बजट से कराये जाने सम्बन्धी सूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।</p>
40(17)	<p>सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि योगी बाबा गंभीरनाथ चैयर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में पुनः 10 दिन के अन्दर एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे जाने का निर्णय कार्य परिषद ने लिया।</p>
40(18)	<p>सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों के प्रबन्धकों को भेजे जाने वाले पत्र को मा0 कुलपति जी से अनुमोदन होने के उपरान्त ही प्रेषित किया जाय।</p>
40(19)	<p>कार्य परिषद ने महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण मण्डल पैनल का डेटा बेस बनाये जाने का निर्णय लिया। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा कार्य परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान किये गये महाविद्यालयों के सम्बद्धता, महाविद्यालयों की सम्बद्धता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल के सदस्यों की सूची तथा</p>

	महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के नियुक्ति हेतु मा० कुलपति जी द्वारा दिये गये विषय विशेषज्ञों एवं कुलपति नामिनी की सूची से अवगत होते हुए, स्वीकृति प्रदान की।
40(20)	सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि कार्य परिषद की बैठक प्रत्येक 2 माह में तथा विद्या परिषद एवं कार्य परिषद की बैठक कुछ दिन के अंतराल में कराया जाय।
40(21)	सभी माननीय सदस्यगण को कार्य परिषद सदस्यों की सूची भेजने एवं बाह्य सदस्यों को बैठक की सूचना ई-मेल एवं स्पीड पोस्ट से भेजने का निर्णय लिया गया।
40(22)	कार्य परिषद सदस्य श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा महाविद्यालयों के प्रबन्धकों को पत्र प्रेषित कर विश्वविद्यालय में उपस्थित होने सम्बन्धी प्रकरण पर मा० कुलपति जी द्वारा आश्वस्त किया गया कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
40(23)	कार्य परिषद ने प्रो० कमलेश कुमार गुप्त, आचार्य-हिन्दी विभाग के प्रकरण पर मा० कुलपति जी को एक जाँच समिति गठित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

कुलसचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह०/  
कुलपति

  
कुलसचिव   




दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 30.10.2021 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० राजेश सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० नन्दिता आई०पी० सिंह	सदस्य
3.	प्रो० अवधेश कुमार तिवारी	सदस्य
4.	प्रो० विनय कुमार पाण्डेय	सदस्य
5.	प्रो० जे०ए०वी०पी० राव	सदस्य
6.	प्रो० प्रदीप कुमार यादव	सदस्य
7.	प्रो० चन्द्रभूषण गुप्त	सदस्य
8.	डॉ० अखिलेश कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
9.	डॉ० राजवीर सिंह	सदस्य
10.	डॉ० विजय प्रताप उपाध्याय	सदस्य
11.	प्रो० रामअचल सिंह	सदस्य
12.	प्रो० वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी	सदस्य
13.	प्रो० कल्पलता पाण्डेय (ऑनलाइन उपस्थित)	सदस्य
14.	श्री अनिल कुमार सिंह	सदस्य
15.	प्रो० अजय सिंह,	वित्त अधिकारी
16.	श्री विशेश्वर प्रसाद, कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे मा० कुलपति जी के साथ-साथ कार्य परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। इसके पश्चात कुलसचिव द्वारा मा० कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची क्रमशः पटल पर विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।

कार्यवृत्त


बिन्दु संख्या	बिन्दु
1.	कार्य परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.10.2021 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.10.2021 की संस्तुतियों को स्वीकार किया
2.	<p>कार्य परिषद ने विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा अनुभाग 4 के पत्र सं०-1996/सत्तर-4-2021 दिनांक 12 अक्टूबर 2021, संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-14, उ०प्र० शासन का पत्र संख्या -944/6-पु-14-21-60 (04)/19, दिनांक 23.09.2021 के द्वारा प्रो० अजय कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के विरुद्ध धारा-409/120 बी भा०दं०वि० के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर की नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए गृह (पुलिस) अनुभाग-14 एवं उच्च शिक्षा विभाग को 15 दिन के भीतर अवगत कराने का अनुरोध किय गया था, परन्तु अपेक्षित सूचना अद्यतन अप्राप्त है। उक्त के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-14, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या -944/6-पु-14-21-60 (04)/19, दिनांक 23.09.2021 के द्वारा कृत कार्यवाही से शासन को दिनांक 12.10.2021 तक अवगत कराने हेतु निर्णय लेने पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा अनुभाग 4 के पत्र सं०-1996/सत्तर-4-2021 दिनांक 12 अक्टूबर 2021, संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-14, उ०प्र० शासन का पत्र संख्या -944/6-पु-14-21-60 (04)/19, दिनांक 23.09.2021 के द्वारा प्रो० अजय कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के विरुद्ध धारा-409/120 बी भा०दं०वि० के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर की गयी</p>

नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए गृह (पुलिस) अनुभाग-14 एवं उच्च शिक्षा विभाग को 15 दिन के भीतर अवगत कराने का अनुरोध किय गया था, परन्तु अपेक्षित सूचना अद्यतन अप्राप्त है।

उक्त के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या -944/6-पु-14-21-60 (04)/19, दिनांक 23.09.2021 के द्वारा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में अभियोजन स्वीकृति की अनुमति प्रदान की गई साथ ही उनसे सम्बन्धित कोई तथ्य/अभिलेख उपलब्ध कराया जाता है तो उससे भी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन व गृह (पुलिस) अनुभाग-14 को अवगत कराये जाने का निर्णय लिया गया।

कुलसचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह0 /  
कुलपति

  
23.9.21  
कुलसचिव





दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 13.12.2021 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० राजेश सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० अवधेश कुमार तिवारी	सदस्य
3.	प्रो० नन्दिता आई०पी० सिंह	सदस्य
4.	प्रो० विनय कुमार पाण्डेय	सदस्य
5.	प्रो० प्रदीप कुमार यादव	सदस्य
6.	प्रो० चन्द्रभूषण गुप्त	सदस्य
7.	प्रो० वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी (आनलाइन उपस्थित)	सदस्य
8.	प्रो० रामअचल सिंह	सदस्य
9.	डॉ० अखिलेश कुमार श्रीवास्वत	सदस्य
10.	डॉ० राजवीर सिंह	सदस्य
11.	डॉ० प्रदीप कुमार राव	सदस्य
12.	डॉ० विजय प्रताप उपाध्याय	सदस्य
13.	डॉ० अजय कुमार मिश्र	सदस्य
14.	श्री सन्त प्रकाश सिंह	वित्त अधिकारी
15.	डॉ० अमरेन्द्र कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	श्री विशेश्वर प्रसाद, कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे मा० कुलपति जी के साथ-साथ कार्य परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य प्रो० शोभा गौड़, शिक्षाशास्त्र विभाग एवं प्रो० जे०ए०वी०पी० राव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया एवं नवनामित सदस्य, डॉ० अजय कुमार मिश्र, प्राचीन इतिहास विभाग, वी०आर०डी०बी०डी० पी०जी० कालेज, आश्रम बरहज, देवरिया का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। इसके पश्चात् कुलसचिव द्वारा मा० कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची क्रमशः पटल पर विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।

कार्यवृत्त:-

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद ने विद्या परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.12.2021 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विद्या परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.12.2021 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।

अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह० /  
कुलपति

कुलसचिव